


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)



R. 5314 द. 16

- 1- कामता प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री शंकर सहाय त्रिपाठी, उम्र-70 वर्ष, पेशा-कृषि
- 2- गोरेलाल त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी, उम्र-52 वर्ष, पेशा-कृषि.
- 3- रोहणी प्रसाद त्रिपाठी तनय कामता प्रसाद त्रिपाठी, उम्र-45 वर्ष, पेशा-कृषि
- 4- जय प्रकाश त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी, उम्र-40 वर्ष, पेशा-कृषि

श्री अरुण कुमार जोषी  
स. प्रसाद (पुत्र) 13-7-16  
13-7-16  
की

सभी निवासी ग्राम-बीरखाम, तहसील-समरिया, जिला-रीवा म0प्र0

-----निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- मिथलेश कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी, उम्र-42 वर्ष, पेशा-ग्रहणी
- 2- कौशन प्रसाद तिवारी तनय श्री बैकुण्ठ प्रसाद तिवारी, उम्र-38 वर्ष  
अखिलेश प्रसाद त्रिपाठी तनय रामप्रमोद त्रिपाठी, उम्र-45 वर्ष, पेशा-कृषि।
- 3- शिवनारायण त्रिपाठी तनय रामप्रमोद त्रिपाठी, उम्र-42 वर्ष, पेशा-कृषि।

सभी निवासी ग्राम-बीरखाम, थाना-सेमरिया, तहसील-समरिया, जिला-रीवा  
म0प्र0 -----गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक

08/06/2016प्र0क्र0-60/ए-12/2015-16

न्यायालय राजस्व निरीक्षक शाहपुर, वृत्त-शाहपुर,




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

53

मामला क्र. नि.5314/II/16

जिला-रीवा

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता सूचना उपरांत पेशियों में कोई उपस्थित नहीं। उनको समय-समय पर आवाज लगवाई गयी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	

M ✓

34